

**अनुदान संख्या 63 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**  
**GRANT No. 63 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	77389,18,00		
		77389,20,00	26257,15,82	-51132,04,18
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50713,24,66

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	1,50,00	1,49,92	-8
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	3428.00		
		2902.74	2882.32	-20.42
पु.	R.	-525.26		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल आपूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	6430285.00		
पू.	S.	1.00	2371244.72	2369293.04
पु.	R.	-4059041.28		-1951.68
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	763219.00		
			..	..
पु.	R.	-763219.00		..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	516986.00		
			274947.88	235040.46
पु.	R.	-242038.12		-39907.42
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	25000.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-6501.00	18500.00	18500.00
				..

(I) ₹763219.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत छः मामलों में पूर्णतः अप्रयुक्त रहा :-

(का) “जल आपूर्ति- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन” – ₹458936.00 लाख;

(खा) “सीवरेज और स्वच्छता: स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” – ₹37940.00 लाख;

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(क) “अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना” – ₹4020.00 लाख;

(ख) “जल आपूर्ति – ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम” – ₹44342.00 लाख;

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रम” – ₹19630.00 लाख; और

(ख) “जल आपूर्ति – ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम” – ₹198351.00 लाख ।

प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया ।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – पेयजल एवं स्वच्छता विभाग” के अंतर्गत ₹545.68 लाख की बचत (₹3428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक स्थानांतरण/तैनाती, कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों को न भरने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई ।

(I) Provision of ₹763219.00 lakhs remained wholly unutilized in six cases under Major Head “2552” under the following heads:-

(A) “Water Supply- Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission” - ₹458936.00 lakhs;

(B) “Sewerage and Sanitation: Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - ₹37940.00 lakhs;

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Scheme for Development of Scheduled Castes” - ₹4020.00 lakhs;

(b) “Water Supply - Rural Water Supply Programme” - ₹44342.00 lakhs;

(D) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Programme for Development of Scheduled Tribes” - ₹19630.00 lakhs; and

(b) “Water Supply - Rural Water Supply Programme” - ₹198351.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Drinking Water and Sanitation” - saving of ₹545.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3428.00 lakhs) was due to more transfer/posting, retirement of officials, non filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “2215” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) “जल आपूर्ति” —

(क) “ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम — जल जीवन मिशन”— ₹2776845.24 लाख की बचत (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4312142.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— जल जीवन मिशन” — ₹999974.27 लाख की बचत (₹1499242.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना — जल जीवन मिशन” — ₹276338.04 लाख की बचत (₹503278.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सीवरेज और स्वच्छता — स्वच्छता सेवाएं — स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” — ₹7835.41 लाख की बचत (₹115624.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम अनुसंधान प्रस्तावों की प्राप्ति, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” — “केन्द्र प्रायोजित योजनाएं” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा— स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” — ₹227608.20 लाख की बचत (₹349556.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head “2215” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Water Supply” -

(a) “Rural Water Supply Programmes - Jal Jeevan Mission” - saving of ₹2776845.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4312142.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2025);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Jal Jeevan Mission” - saving of ₹999974.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1499242.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Jal Jeevan Mission” - saving of ₹276338.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹503278.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹7835.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115624.00 lakhs) was due to receipt of less research proposals from States, requirement of less funds in Information, Education and Communication (IEC) and UTs without legislature.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹227608.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹349556.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” – ₹41607.61 लाख की बचत (₹129370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” – ₹12729.73 लाख की बचत (₹38060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत, निधियां जारी करने के लिए राज्यों को ई-कुबेर प्रणाली में शामिल करने में देरी होने की वजह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” के अंतर्गत ₹6500.40 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19000.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹41607.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹129370.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹12729.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38060.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from States / UTs owing to delay in onboarding of states to e-kuber system for release of funds.

(V) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹6500.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19000.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due to receipt of less proposals from UTs.